Pending Projects under Environment and Forests Policy

6608. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether a large number of development projects concerning some States and Union Territories under the Environment and Forests Policy arc pending with Government;

(b) if so, the names of such projects State and Union Territory-wise with reasons of such pendency in each case;

(c) whether Government propose to take some steps for clearance of these projects during the current year; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) A statement showing the names of proposals State-wise, pending with the Central Government as on 30.4.1994 under the Forest (Conservation) Act, 1980 and for environmental clearance alongwith the reasons for pendency is given in Annexure *See* Appendix 170. Annexure No. 135]

(c) and (d) As and when a proposal is received with full details from the Suite Government/UTs. expeditious action is taken to decide the proposal.

छत्तीसगढ़ में औद्योगिक प्रदूषण रोकने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम शुरू करना

6609. **श्री गोविन्द राम मिरी:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र अर्थात् बिलासपुर, रायपुर, बस्तर, सरगुजा, रायगढ़ रजनांदगांव और दुर्ग जिलों में स्थित विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं द्वारा अंधाधुंध फैलाये जा रहे प्रदूषण को रोकने हेतु सरकार द्वारा अब तक उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ क्षेत्र में प्रदूषण फैला रही संस्थाओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या छत्तीसगढ़ क्षेत्र में औद्योगिक प्रदूषण को रोकने हेतु सरकार और उक्त संस्थाएं एक समयबद्ध कार्यक्रम चलाने वाली हैं; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) छत्तीसगढ़ क्षेत्र में प्रदूषण को रोकने के लिए मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैः—

1. वायु/जल गुणवत्ता के लिए उद्योगों के बहिस्रावों/उत्सर्जनों की नियमित निगरानी।
2. उद्योगों का बार-बार निरीक्षण।
3. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 31 (क) और 33 (क) के तहत दोषी इकाइयों को नोटिस दिए गए।
4. वायु अधिनियम, 1981 और जल अधिनियम, 1974 के तहत दोषी इकाइयों के खिलाफ कानूनी मामले शुरू किए गए हैं।
5. छत्तीसगढ़ क्षेत्र में उद्योगों की अत्यधिक प्रदूषक 17 श्रेणियों का पता लगाया गया और इन उद्योगों में प्रदूषण के नियंत्रण के लिए समयबद्ध तरीके से कार्रवाई की जा रही है।

(ख) जी, हां, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु अधिनियम 1981 और जल अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अनुसार उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। जिन इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई उनके नाम और की गई कार्रवाई नीचे दी गई है:—